न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

निगरानी संख्याः– 51/2017 धारा 73 (2) नगर पालिका अधि0 2009 (RCMS No.2017/ 00057

वहीद खां पुत्र वशीर खां जाति मुसलमान निवासी गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. शहिद खां पुत्र नजीर खां जाति मुसलमान निवासी सालीम पब्लिक स्कूल के सामने दशहरा मैदान गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर।
2. नगर पालिका गंगापुरसिटी जरिये अध्यक्ष।

.....अप्रार्थी

निगरानी विरूद्ध आदेश जारी करने पट्टा दिनांक 16.1.2007 व जारी करने पट्टा दिनांक 24.1.2007 नगर पालिका गंगापुरसिटी । व सिलसिले पत्रावली संख्या 47/88–89

उपस्थितिः–

1. श्री प्रमोद कुमार उपमन वकील प्रार्थी।
2. श्री ओमप्रकाश वकील अप्रार्थी।

नि र्ण य

दिनांक 19.9.2019

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 73(2) नगर पालिका अधिनियम 2009 अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका गंगापुर सिटी के द्वारा रैस्पोडेन्ट शहिद के हक में जारी किये गये पट्टा दिनांक 24.1.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रैस्पोडेन्ट ने नगर पालिका गंगापुरसिटी के समक्ष दिनांक 20.2.1989 को पट्टा हेतु आवेदन किया गया जिस पर नगर पालिका गंगापुरसिटी द्वारा बाद कार्यवाही दिनांक 24.1.2007 को रैस्पोडेन्ट सईद के हक में पट्टा जारी कर दिया गया जिसके विरूद्ध यह निगरानी पेश की गयी है।

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी लिखित बहस पेश करते हुये अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि नगर पालिका गंगापुरसिटी ने रैस्पोडेन्ट के हक में जिस सम्पत्ति का पट्टा जारी किया है वह तन्हा रैस्पोडेन्ट की नहीं है। वास्तविकता यह है कि गंगापुरसिटी में पक्षकारों के बुजुर्ग आवदार खां निवास करते थे और विवादित सम्पत्ति प्रार्थी के बुजुर्ग आवदार खां की है, जो फौत हो चुके है। यह कि इस पक्षकार के बुजुर्ग

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवदार खां का मिल्कियत व कब्जे का मकान तीन मंजिला घास मण्डी गंगापुरसिटी में स्थित है। मृतक आवदार खां के सभी वारिसान इस मकान में रहते है। इस सम्पूर्ण जायदाद में अपीलार्थी वहीद खां एवं नसीर खां हमीद खां का 1/3 हिस्सा है बुन्दुखां का 1/3 हिस्सा है एवं गुलाब खां रहमत खां सईद खां का 1/3 हिस्सा है। इस प्रकार उक्त सारे मकान पर अकेले रैस्पोडेन्ट का कोई अधिकार नहीं है। यह कि रैस्पोडेन्ट ने गंगापुरसिटी नगर पालिका में जो दरख्वास्त पट्टा प्राप्त करने की लगायी थी उसमें अपीलार्थी ने उज्रदारी प्रस्तुत की और नगर पालिका गंगापुरसिटी में दिनांक 6.2.1990 को यह आदेश दिया कि पक्षकार सक्षम न्यायालय में अपने अधिकार तय कराये। इसके पश्चात अपीलार्थी ने दिनांक 26.3.1990 को उक्त सम्पत्ति के बंटवारे का दावा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिसकी अपील वर्तमान में न्यायालय अतिरिक्त जिला जजी गंगापुरसिटी में चल रही है। इस प्रकार पक्षकारों के मध्य सक्षम न्यायालय में मामला विचाराधीन है। सिविल न्यायाधीश (व0ख0) का निर्णय सव ज्यूडिस है कोई फाइनल नहीं हुआ है। इस प्रकार जब अधिकारों के लिये सिविल न्यायालय में मामला विचाराधीन है तो ऐसी परिस्थिति में रैस्पोडेन्ट के हक में पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। यह कि जब नगर पालिका गंगापुरसिटी में अपीलार्थी ने उज्रदारी प्रस्तुत की थी तो ऐसी सूरत में पट्टा जारी करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई के लिये नोटिस दिया जाना आवश्यक है । तहत अदालत ने अपीलार्थी को किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया ना ही सुनवाई का कोई मौका दिया इस प्रकार तहत अदालत ने न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की अवहेना की है। यह कि उक्त सम्पत्ति अकेले सईदखां की अकेले की मिल्कियत नहीं है। रैस्पोडेन्ट ने दिनांक 9.1.2007 को जो शपथपत्र प्रस्तुत किया है वह बिल्कुल झूठा है क्यों कि मामले हाजा में दिनांक 11.12.2006 को अपील प्रस्तुत हो गई थी और इस प्रकार रैस्पोडेन्ट ने अदालत के समक्ष झूठा शपथपत्र प्रस्तुत कर आदेश प्राप्त किया है जो निरस्त योग्य है। इसके अलावा रैस्पोडेन्ट ने अपनी लिखित बहस में गलत सजरा अंकित किया है। यह सही है कि कालेखां की कोई औलाद नहीं थी लेकिन कालेखां ने नजीर खां को गोद नहीं लिया है और मुस्लिम कानून के अनुसार गोदनामा मान्य नहीं होता है जैसा कि 2017 डी एन जे (सुप्रीम कोर्ट) 366 में माननीय न्यायालय ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। अगर कोई गोदनामा है तो वह कानून अवैध है जो मान्य नहीं है। कालेखां नजीर खां के पिता नहीं थे बल्कि सहिद खां के पिता का नाम आबदार खां था। रैस्पोडेन्ट द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि दोनों ही पक्ष सक्षम न्यायालय में जाकर अपने अधिकार तय करावें तात्पर्य है कि रैस्पोडेन्ट का कोई अधिकार जायदाद पर नहीं माना गया है और दोनों ही पक्षों के अभी अधिकार तय नहीं हुये है। इस हेतु सक्षम न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। रैस्पोडेन्ट ने अपने अधिकार तय किये बिना तथा मुकदमों में तथ्य छुपा कर पट्टा जारी करवाया है जो काबिले मंसूखी है। रैस्पोडेन्ट गौरकानूनी व विधि द्वारा अमान्य गोदनामा के आधार पर कालेखां की सम्पत्ति को हडपना चाहता है इसी कारण यह पट्टा गलत प्रकार से जारी करवाया है। यह कि दिनांक 9.5.2007

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति निरस्त कर दी है जो आज दिनांक तक भी फैसला बहाल है। इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगापुरसिटी न्यायालय का फैसला दिनांक 28.11.2006 को पारित हुआ । जिसकी अपील दिनांक 11.12.2006 को श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश गंगापुरसिटी के समक्ष पेश की गई। जिसका अपील नम्बर 38/06 रहा है दिनांक 28.11.2006 के विरूद्ध अपील दायर करने की अवधि समाप्त होने से पहले ही झूठा शपथ पत्र देकर दिनांक 24.1.2007 को भवन निर्माण स्वीकृति व अपीलाधीन पट्टा जारी करवाया गया है जो काबिले मंसूखी है। अपीलार्थी को उक्त आदेश की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी । अपीलार्थी को उक्त अपीलाधीन आदेश की दिनांक 14.3.2007 को जानकारी हुई जिसमें अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अन्त में वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि निगरानी स्वीकार की जाकर रैस्पोडेन्ट के हक में जारी किया गया पट्टा व अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.1.2007 निरस्त किया जावे।

अप्रार्थी की ओर से उपस्थित वकील द्वारा तहत अदालत नगर पालिका गंगापुरसिटी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.1.2007 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह है कि कालेखां की कोई औलाद नहीं थी इसलिऐ अपने छोटे भाई आबदार खां के बडे पुत्र नजीर खां को जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा गोद ले लिया जो दिनांक 6.1.1927 को लिखा जाकर दिनांक 7.1.1927 को रजिस्टर्ड किया गया । उक्त दस्तावेज (गोदपत्र) उर्दू भाषा में लिखा गया था जिसका हिन्दी अनुवाद साथ में पेश किया गया है। जो आज दिनाक तक आस्तित्व में है। यह कि उक्त गोदपत्र को निरस्त कराने हेतु कोई भी मुकदमा किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। यह कि रैस्पोडेन्ट सईद खां द्वारा दिनांक 3.3.1989 को अपने पिता द्वारा बनाये गये पाटौर पोश मकान का नजराना जमा कराने का प्रार्थनाप. पेश किया । इस विवादग्रस्त भूमि को रैस्पोडेन्ट सईद खां के पिता नजीर खां ने तहसील गंगापुरसिटी में जमीन के लिये प्रार्थनापत्र पेश किया जिसका निर्माण हेतु आदेश दिनांक 22.12.1926 को तहसील गंगापुरसिटी द्वारा किया गया उक्त आदेश उर्दू भाषा में लिखा गया था जिसका हिन्दी अनुवाद पेश है। यह कि उक्त विवादग्रस्त मकान के संबध में प्रार्थी (रिवीजनकर्ता) ने उक्त आदेश के खिलाफ उज्रदारी पेश की जिस पर नगर परिषद गंगापुरसिटी द्वारा दिनांक 6.2.1990 को यह आदेश दिया कि दोनों पक्षकारान सक्षम न्यायालय में अपने अपने हक व हकूक तय करावें। प्रार्थी (रिवीजनकर्ता) ने दावा बाबत तकास्मा का मय नक्शा भूमि व मकान का न्यायालय सिविल न्यायाधीश गंगापुरसिटी के समक्ष पेश किया जो दिनांक 24.1.2002 को खारिज कर दिया गया। रिवीजनकर्ता ने उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील पेश की गई जो दिनांक 31.5.2006 को पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड हुई उसके बाद माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश गंगापुरसिटी द्वारा दिनांक 28.11.2006 को निर्णय पारित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया और पुनः रिवीजनकर्ता का दावा खारिज कर दिया गया। उसके बाद पुनः रिवीजनकर्ता ने उक्त आदेश के खिलाफ माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गंगापुरसिटी के समक्ष पुनः अपील पेश की जो दिनांक 14.2.2011 को खारिज कर दी गई और अधीनस्थ न्यायालय सिविल न्यायाधीश गंगापुरसिटी का आदेश बहाल रखा गया। इस प्रकार रिवजीजनकर्ता का उक्त मकान के संबध में काई हक हकूक सिसविल न्यायालय ने नहीं माना और न ही कब्जा माना है। यह कि रिवीजनकर्ता ने सजरा भी गलत पेश किया है क्यों कि रिवीजनकर्ता के बाबा का एक बडा भाई काले खां भी था जो निसंतान होने के कारण अपने छोटे भाई आबदार खां से नजीर खां को अपने बेटे की तरह गोद लेने के लिये कहा। जिस पर रिवीजनकर्ता के दादा आबदार खां ने दिनांक 6.1.1927 को रजिस्ट्रार जयपुर के समक्ष इकरार नामा पेश कर पंजीकृत कराया । जिसकी छाया प्रति उर्दू भाषा में है जो पेश की गई है तथा उसका हिन्दी अनुवाद भी पेश किया गया हैं। यह कि नजीर खां ने ही अपने पिता काले खां की मृत्यु की पूरी रश्मो–रिवाज स्वयं की और वरवक्त चैहल्लुम कालेखां की पगडी नजीर खां को बंधवाई गई। इस प्रकार नजीर खां , काले खां की चल व अचल सम्पत्ति का मालिक हो गया। यह कि कालेखां ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही मकान बनाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके आदेश होने से पूर्व ही कालेखां की मृत्यु हो गई । जिस पर तहसील ने नजराने के 200/– रूपये जमा कराने का नोटिस दिया जो नजीर खां ने तहसील में 200/– रूपये बतौर नजराना जमा कराया था। जिसकी रसीद पेश की है। अब रैस्पोडेन्ट ने पुख्ता मकान का निर्माण कर लिया है। जिसमें रैस्पोडेन्ट का परिवार शान्ति पूर्वक रह रहा है। नगर परिषद गंगापुरसिटी से नियमानुसार पट्टा भी मिल गया है। रिवीजनकर्ता का इस मकान से कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान में सिविल न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश गंगापुरसिटी द्वारा दिनांक 14.2.2011 को रैस्पोडेन्ट के हक में निर्णय पारित किया है और रिवीजनकर्ता वहीद के दावा को खारिज किया गया है यह निर्णय आज भी आस्तित्व में है ऐसी स्थिति में जब सिविल न्यायालय द्वारा ही रिवीजनकर्ता का कोई हक हकूक नहीं माना तो फिर रिवीजनकर्ता की उज्रदारी कोई मायने नहीं रखती है और अदालत तहत के पास रैस्पोडेन्ट के हक में पट्टा जारी करने के अलावा अन्य कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता है। तहत अदालत ने बाद परीक्षण माननीय सिविल न्यायालय के निर्णयों की मंशा के अनुरूप ही विधिवत पट्टा जारी किया गया है जो सही व विधि–अनुरूप ही है। इसके अलावा वर्तमान में किसी भी न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में कोई स्थगन भी जारी नहीं किया हुआ है ऐसी स्थिति में रिवजीनकर्ता की निगरानी सारहीन साबित हो जाती है लिहाजा प्रार्थी के निगरानी खारिज की जाकर नगर पालिका गंगापुरसिटी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.1.2007 यथावत रखा जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

"Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large

would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–
"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में दोनों ही पक्ष इस तथ्य से इन्कार नहीं करते है कि रैस्पोडेन्ट ने गंगापुरसिटी नगर पालिका में दिनांक 20.2.1989 को जो दरख्वास्त पट्टा प्राप्त करने की लगायी थी उसमें अपीलार्थी ने दिनांक 27.3.1989 को उज्रदारी प्रस्तुत की और नगर पालिका गंगापुरसिटी द्वारा दिनांक 6.2.1990 को यह आदेश दिया कि पक्षकार सक्षम न्यायालय में अपने अधिकार तय कराये। जिस पर अपीलान्ट वहीद खां ने न्यायालय कनिष्ठ खण्ड सिविल जज गंगापुर के यहा रैस्पोडेन्ट सईदखां के खिलाफ दावा किया जो दिनांक 24.1.2002 को खारिज कर दिया गया। जिसकी अपील न्यायालय अपर जिला जज गंगापुरसिटी के समक्ष पेश की गई तो न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश गंगापुरसिटी के द्वारा निर्णय दिनांक 31. 5.2006 के द्वारा प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु मातहत अदालत को रिमाण्ड किया गया । मातहत अदालत न्यायालय वरिष्ठ खण्ड न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगापुरसिटी द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में कार्यवाही करते हुये निर्णय दिनांक 28.11.2006 पारित किया गया जिसमें अपीलान्ट का दावा पुनः खारिज कर दिया गया। अपीलान्ट वहीद खां ने रिमाण्ड प्रकरण में हुये इस निर्णय के बाद भी पुनः अपर जिला सत्र न्यायाधीश गंगापुरसिटी के समक्ष अपील पेश की गई वह भी दिनांक 14.2.2011 को अपीलान्ट के विरूद्ध खारिज की जा चुकी है। अर्थात वर्तमान में अपर जिला सत्र न्यायाधीश गंगापुरसिटी के द्वारा रैस्पोडेन्ट के हक में पारित निर्णय दिनांक 14.2. 2011 आज दिनांक तक आस्तित्व में है और इसी प्रकार दिनांक 6.1.1927 को तहरीर किया जाकर दिनांक 7.1.1927 को रजिस्टर्ड किया गया गोदनामा भी आज दिनांक तक आस्तित्व में है। ऐसी स्थिति में रैस्पोडेन्ट के हक में जारी पट्टा दिनांक 24.1.2007 में कोई विधिक त्रुटी नहीं रहती है। इसके अलावा हक–हकूकी एवं गोदनामा जैसे जटिल बिन्दुओं की प्रमाणिकता के संदर्भ में नियमित वाद के उपरान्त ही सक्षम अदालत द्वारा निर्णय लिया जाना न्यायोचित रहता है। जिला सत्र न्यायाधीश गंगापुरसिटी द्वारा दिनांक 14.2.2011 को रैस्पोडेन्ट के हक में निर्णय पारित किया है और रिवीजनकर्ता वहीद के दावा को खारिज किया गया है यह निर्णय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आज भी आस्तित्व में है ऐसी स्थिति में जब सिविल न्यायालय द्वारा ही रिवीजनकर्ता का कोई हक हकूक नहीं माना तो फिर रिवीजनकर्ता की उज्रदारी कोई मायने नहीं रखती है और अदालत तहत के पास रैस्पोडेन्ट के हक में पट्टा जारी करने के अलावा अन्य कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता है। अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई आदेश/स्थगन आदेश/दस्तावेजी साक्ष्य अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे जिला सत्र न्यायाधीश गंगापुरसिटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.2.2011 के वर्तमान में आस्तित्व में रहने पर प्रश्नचिन्ह लगाया जा सके। नगर पालिका द्वारा बाद परीक्षण माननीय सिविल न्यायालय के निर्णयों की मंशा के अनुरूप ही विधिवत पट्टा जारी किया गया है जिसमें हम कोई विधिक त्रुटी नहीं पाते है। प्रार्थी/ निगरानीकार द्वारा की गई निगरानी विधि सम्मत् नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य ही रहती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/निगरानीकार की निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। नगर पालिका गंगापुरसिटी द्वारा दिये गये पट्टा विलेख दिनांक 24.1.2007 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.9.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official